न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

मुकदमा नं0 :–181/2019 तारीख रजू :– 19.12.2019

जीसीएमएस आई0डी0:–2019/00408

फतेहसिंह पुत्र सांवलिया जाति जाट निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————————— सायल

बनाम

1.	बनेसिंह	पिसरान परसादी	जाति जाट निवासी फुलवाडा
2.	प्रेमसिंह		
3.	सुखसिंह		
4.	लक्ष्मणसिंह	पिसरान किशोरसिंह	
5.	दिगम्बर		
6.	सुमित्रा देवी बेबा किशोरसिंह		
7.	देवेन्द्र	पिसरान मनोहरीसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली
8.	भगवानसिंह		
9.	गोपाल		
10.	आशा पुत्री मनोहरीसिंह		
11.	मुनेन्द्र	पिसरान हुकमसिंह	
12.	नरेन्द्र		
13.	सुशीला पत्नि हुकमसिंह		
14.	युवसिंह पुत्र रामखिलाडी		
15.	सुरेन्द्रसिंह	पिसरान गोविन्दसिंह	
16.	नरेन्द्रसिंह		

17. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली ——————— गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट सायल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

निर्णय   दिनांक :— 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि वादी सायल ने अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त उनवान का दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 0.02 है0, 701 रकबा 0.01 है0, 714 रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.10 है0, 976 रकबा 0.17 है0, 977 रकबा 0.30 है0, 988 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में सायल 1/8 हिस्से का, गैरसायल सं01 ता 13 हिस्सा 3/8 के एवं गैरसायल सं0 14 ता 16 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि सायल एवं गैरसायलान के परिवार बढ जाने के कारण सायल एवं गैरसायलान के मध्य आये दिन डोल मेंड को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। जिससे बचने के लिए दिनांक 17.11.2019 को सायल ने गैरसायलान से आपसी सहमति के आधार पर आराजीयात का विधिवत बंटवारा कराने बाबत् कहा तो गैरसायलान ने स्पष्ट मना कर दिया एवं कहा कि हम तो अपने हिस्से का बिना बंटवारा किये डण्डे वाले लोगों को बेचान कर रहे हैं। जो तुमसे भी तुम्हारा हिस्सा भी डण्डे के बल पर छीन लेंगे। सायल ने गैरसायलान को समझाने का भरसक प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अपने उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार की नहीं है, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावें कि गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 0.02 है0, 701 रकबा 0.01 है0, 714

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.10 है0, 976 रकबा 0.17 है0, 977 रकबा 0.30 है0, 988 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सें सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें। सायल के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। सायल की आराजी को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें। ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करें, ना ही किसी अन्य से करावें कि जिससे हकूक सायल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 19.02.2020 को गैरसायलान सं0 1 ता 16 की ओर से श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। जिनको जबाव प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया तथा दिनांक 06.01.2026 को गैरसायलान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 पेश की है।

वकील सायल उपस्थित। वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायल ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील सायल की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 0.02 है0, 701 रकबा 0.01 है0, 714 रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.10 है0, 976 रकबा 0.17 है0, 977 रकबा 0.30 है0, 988 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी आशा पुत्री मनोहरसिंह हि0 1/56, किशोरसिंह पुत्र सांवलिया हि0 1/8, गोपालसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 1/56, देवेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 1/56, नरेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/8, पूरनसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 1/56, परसादी पुत्र सांवलिया हि0 1/8, फतेहसिंह पुत्र सांवलिया हि0 1/8, भगवानसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 1/56, युवसिंह पुत्र रामखिलाडी हि0 1/6, युवसिंह पुत्र रामखिलाडी हि0 1/12, रामेश्वरी पत्नि मनोहरसिंह हि0 1/56, सुरेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह हि0 1/8, हुकमसिंह पुत्र मनोहरसिंह हि0 1/56 जातियान जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 0.02 है0, 701 रकबा 0.01 है0, 714 रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.10 है0, 976 रकबा 0.17 है0, 977 रकबा 0.30 है0, 988 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सायल एवं गैरसायलान की सहखातेदारी की है। सायलान के द्वारा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भू– भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है जब तक की उन सहखातेदारों के मध्य संयुक्त खातेदारी का विधिवत रूप से विभाजन होकर पृथक पृथक खाता एवं लगान कायम नहीं हो जाता है। सायलान के द्वारा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया है। इसलिए उक्त विवादित आराजीयात के किसी विशिष्ट भू–भाग का अन्तरण नहीं करने एवं सायलान के हिस्से तक की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करने हेतु गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द कराने के सायलान अधिकारी साबित हैं। इस प्रकार सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर प्रथम दृष्टया केस सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में साबित है। पक्षकारान के अधिकार दावे सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 679 रकबा 0.02 है0, 701 रकबा 0.01 है0, 714 रकबा 0.07 है0, 742 रकबा 0.10 है0, 976 रकबा 0.17 है0, 977 रकबा 0.30 है0, 988 रकबा 0.01 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन के के किसी विशिष्ट भू–भाग का अन्तरण नहीं करें तथा सायलान के हिस्से तक की भूमि में मजाहमत नहीं करें। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)